रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042023-245401
CG-DL-E-25042023-245401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945
No. 106] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/VAISAKHA 5, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2023

सं. 09/2023

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.12 (vi) में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/011/एएम24/पीसी–4.—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.12 (vi) के प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः

मौजूदा पैरा 4.12 (vi)	संशोधित पैरा 4.12 (vi)
पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार–पत्र के संबंध में 01.04.2023 को या उसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय में किसी भी मान दंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड, अनुसमर्थन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वैध होगें। चूंकि मानदंड समिति के सभी निर्णय विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर कार्यवृत के रुप में उपलब्ध हैं अतः अग्रिम प्राधिकार–पत्र के अन्य सभी आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं और इन मानदंडों की वैधता के	पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार–पत्र के संबंध में 01.04.2023 को या उसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड, अनुसमर्थन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वैध होगें। **तथापि, प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम पाधिकार पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 या उसके बाद किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड भी दिनांक 31.03.2026 तक वैध रहेंगें।** चूंकि मानदंड समिति के सभी निर्णय विदेश व्यापार

दौरान, आवृत्ति आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह पैरा परिशिष्ट 4त के तहत सूचीबद्ध मदों के लिए आवेदित प्राधिकार पत्रों के लिए लागू नहीं है।	महानिदेशालय की वेबसाइट पर कार्यवृत के रुप में उपलब्ध हैं अतः अग्रिम प्राधिकार–पत्र के अन्य सभी आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं और इन मानदंडों की वैधता के दौरान, आवृत्ति आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह पैरा परिशिष्ट 4त के तहत सूचीबद्ध मदों के लिए आवेदित प्राधिकार पत्रों के लिए लागू नहीं है।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः व्यापार करने में सुगमता और दिनांक 31.03.2026 तक सौदा लागत को कम करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 4.07 तहत अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम के संबंध में दिनांक 01.04.2015 से अनुसमर्थित तदर्थ मानदंड की वैधता को बढ़ाने हेतु प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.12 (vi) के संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25th April, 2023

No. 09/2023

Subject : Amendment in Para 4.12 (vi) of the Handbook of Procedures, 2023.

F. No. 01/94/180/011/AM24/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the provision of Para 4.12(vi) of the Handbook of Procedures 2023:

Existing para 4.12(vi)	Amended para 4.12(vi)
Norms ratified by any Norms Committee (NC) in the O/o DGFT on or after 01.04.2023 in respect of any Advance Authorisation obtained under paragraph 4.07 shall be valid for a period of three years from the date of ratification. Since all decisions of the Norms Committees are available in the form of minutes on the DGFT website, all other applicants of Advance Authorisation are also eligible to apply and get their authorisations based on such ratified norms on repeat basis during validity of these norms. This para is not applicable for authorisations applied for items listed under Appendix 4P.	Norms ratified by any Norms Committee (NC) in the O/o DGFT on or after 01.04.2023 in respect of any Advance Authorisation obtained under paragraph 4.07 shall be valid for a period of three years from the date of ratification. **However, the Norms ratified by any Norms Committee (NC) on or after 01.04.2015 in respect of any Advance Authorisation obtained under paragraph 4.07 of HBP, 2015-2020 shall also be valid further upto 31.03.2026**. Since all decisions of the Norms Committees are available in the form of minutes on the DGFT website, all other applicants of Advance Authorisation are also eligible to apply and get their authorisations based on such ratified norms on repeat basis during validity of these norms. This para is not applicable for authorisations applied for items listed under Appendix 4P.

Effect of the Public Notice: Para 4.12(vi) of the Handbook of Procedures 2023 in respect of Advance Authorization issued under para 4.07 of HBP 2015-2020 has been amended to extend the validity of ad-hoc norms ratified from 01.04.2015 up to 31.03.2023, which shall now be valid up to 31.03.2026, for ease of doing business and reduction of transaction cost.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA